Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to release the prisoners who have completed their punishments and have no guarantor to apply for bail.

श्री सुशील कुमार सिंह (**औरंगाबाद**): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं देश के सामने और सरकार के सामने एक ऐसे विषय को उठाने जा रहा हूँ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं।... (व्यवधान) देशभर के विभिन्न जिलों में लाखों की संख्या में ऐसे बंदी हैं, जिनके ऊपर जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों के आधार पर उनको जो अधिकतम सजा मिल सकती है, चाहे दो साल की हो, पांच साल की हो या सात साल की हो, तो या तो मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई है या उनके फैसले नहीं आए हैं या फिर सुनवाई हो गई है, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। उनका जमानतदार बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे लोग उनके विरुद्ध मुकदमों में निर्धारित सजा से अधिक दिनों से जेल में हैं।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से और इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे लाखों की संख्या में जेलों में बंद बंदियों को विभिन्न अवसरों पर, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो या पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो या किसी अन्य विशेष अवसर पर ऐसे बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए। मेरा यह निवेदन आपके माध्यम से भारत सरकार से है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यगण अपना विषय रखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे के पश्चात शून्य काल फिर से लिया जाए। आप धैर्य रखिए और प्रतीक्षा कीजिए।

... (व्यवधान)